

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 के तहत

आवेदन पत्र

प्रति,

पासपोर्ट साईज
का नवीन फोटो
दाखल करें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

निगम नर्सिंग होम / क्लीनिक / लैब / पैथोलॉजी / ब्लड बैंक / सोनोग्राफी / एक्सरे इत्यादि कार्य
हेतु व्यवसायिक लायसेंस बाबत।

महोदय,

—-0—-

निवेदन है कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 के तहत विषयांकित
कार्य हेतु व्यवसायिक लायसेंस प्राप्त करना चाहता हूँ जिसके लिये मेरा विवरण निम्नानुसार है :-
फर्म का नाम

आवेदक का नाम

..... पिता/पति का नाम श्री.....

भवन स्वामी का नाम

व्यवसाय का नाम नर्सिंग होम / क्लीनिक

/ लैब / पैथोलॉजी / ब्लड बैंक / सोनोग्राफी / एक्सरे

आवेदक का निवास का

पता

संस्थान का पता

वार्ड

क्र. निगम द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क में जमा करूंगा एवं उक्त कार्य हेतु शासन तथा
निगम के समस्त नियमों का पालन करूंगा और नियमानुसार नर्सिंग होम एक्ट के तहत संबंधित
संस्था / विभाग से पंजीयन (अनुज्ञप्ति) प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारंभ करूंगा।

भरे निवास / प्रतिस्थान पर लगने वाले संपत्ति कर / जल कर मल कर / किराया /
समेकित कर टेक्स रसिद एवं भवन अनुज्ञा पत्र पार्किंग व्यवस्था इत्यादि संबंधी दस्तावेज संलग्न
है। किसी दस्तावेज के आभाव में मेरा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा।

अतः अनुरोध है कि ~~मुझे~~ उपरोक्तानुसार कार्य हेतु व्यवसायिक लायसेंस / लायसेंस

मधीनीकरण करने का कष्ट करें।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पिता / पति का नाम

निवास का पता

.....

मो. नं.